

2/3/25

शिवगंज (सिराही)

पत्रावली पेश हुई। चापी कठिणता से उस
पत्रावली को कागे नहीं। चलाने हेतु जति
मोटेपेठ करने का निवेदन किया।

कथ: चापी कठिणता की ईशतुका
पर चापी का निवेदन स्वीकार किया
जाकर पत्रावली जाति मोटेपेठ के स्वारीय
की जाती है। पत्रावली केवल शुद्ध
होकर न. से कट हो।


सहायक कलक्टर।
शिवगंज (सिराही)

Note No.

Page

(संख्या)

